

नषिध कानून और मुद्दे

प्रलिस के लये:

नजिता का अधकार, शराब की बकिरी पर प्रतबिध लगाने वाले राज्य, राज्य के नीतनिदिशक सदिधांत (DPSP), मौलिक कर्तव्य ।

मेन्स के लयि:

भारत में प्रोहबिशन एक्ट्स से जुडी चतिाएँ, अनुच्छेद 47 बनाम नजिता का अधकार (अपनी पसंद के खाने और पीने के अधकार सहति जीवन का अधकार)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में बहिर सरकार ने अवैध शराब नरिमाण की नगिरानी के लयि [डरोन](#) का उपयोग करने का नरिणय लयिा है ।

- इसने नषिध अधनियिम के प्रावधानों को लागू करने के लयि भौतिक और वत्तीय संसाधनों के उपयोग की उपयोगति पर बहस शुरू कर दी है ।

प्रमुख बदि:

परचिय:

- नषिध कानून दवारा कसिी चीज़ को मना करने का कार्य या अभ्यास है: वशिष रूप से यह शब्द मादक पेय पदार्थों के नरिमाण, भंडारण (चाहे बैरल में या बोतलों में), परविहन, बकिरी, कब्ज़ा और खपत पर प्रतबिध लगाने को संदर्भति करता है ।
- संवैधानिक प्रावधान:
 - अनुच्छेद 47: भारत के संवधान में नरिदेशक सदिधांतों में कहा गया है कि "राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लयि हानकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर इनके उपभोग पर प्रतबिध लगाने के लयि नयिम बनाएगा" ।
 - राज्य का वषिय: शराब, भारतीय संवधान की सातवी अनुसूची के तहत राज्य सूची में एक वषिय है ।

भारत में अन्य नषिध अधनियिम:

- बॉम्बे आबकारी अधनियिम, 1878: शराब नषिध पर पहला संकेत बॉम्बे आबकारी अधनियिम, 1878 के माध्यम से था ।
 - यह अधनियिम वर्ष 1939 और 1947 में कयि गए संशोधनों के माध्यम से अन्य बातों और शराब नषिध के पहलुओं पर नशीले पदार्थों को लेकर शुलक लगाने से संबंधति था ।
- बॉम्बे नषिध अधनियिम, 1949: बॉम्बे आबकारी अधनियिम, 1878 में शराबबंदी लागू करने के सरकार के फैसले के दृष्टिकोण से "कई खामयिों" थीं ।
 - इसके कारण बॉम्बे प्रोहबिशन एक्ट, 1949 का जन्म हुआ ।
 - सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने वर्ष 1951 में बॉम्बे राज्य बनाम एफएन बलसारा के फैसले में कुछ धाराओं को छोड़कर अधनियिम को व्यापक रूप से बरकरार रखा ।
- गुजरात नषिध अधनियिम, 1949:
 - गुजरात ने वर्ष 1960 में शराबबंदी नीतको अपनाया और बाद में इसे और अधकि कठोरता के साथ लागू कयिा, लेकनि वदिशी पर्यटकों और आगंतुकों के लयि शराब परमति प्राप्त करने की प्रक्रयिा को भी आसान बना दयिा ।
 - वर्ष 2011 में, अधनियिम का नाम बदलकर गुजरात नषिध अधनियिम कर दयिा गया । वर्ष 2017 में गुजरात नषिध (संशोधन) अधनियिम को इस राज्य में शराब के नरिमाण, खरीद, बकिरी और परविहन पर दस साल तक की जेल के प्रावधान के साथ पारति कयिा गया था ।
- बहिर मद्य नषिध अधनियिम, 2016: बहिर मद्य नषिध और उत्पाद शुलक अधनियिम 2016 में लागू कयिा गया था ।
 - 2016 से कड़े शराबबंदी कानून के तहत 3.5 लाख से अधकि लोगों को गरिफ्तार कयिा गया है, जसिके कारण जेलों में भीड़भाड़ है और अदालतें बंद हैं ।
- अन्य राज्य: मज़ोरम, नगालैंड राज्यों के साथ-साथ केंद्रशासति प्रदेश लक्षद्वीप में शराबबंदी लागू है ।

शराबबंदी के खलिाफ तरक:

नजिता का अधकार:

- कसिी व्यक्ती के भोजन और पेय पदार्थों के चुनाव के अधकार में राज्य दवारा कोई भी हस्तक्षेप एक अनुचित प्रतबिध के बराबर

है और व्यक्तिकी नरिणयातमक व शारीरिक स्वायत्तता को नष्ट कर देता है।

- वर्ष 2017 के बाद से कई फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नजिता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है।
- **हसिा की भावना: वभिन्नि शोधों और अध्द्ययनों से पता चला है कशिराब हसिा की भावना को बढा देती है।**
 - महिलाओं और बच्चों के खलिाफ घरेलू हसिा के अधकिांश अपराध बंद दरवाजों के पीछे होते हैं।
- **राजस्व की हानि:** शराब से प्राप्त कर राजस्व कसिी भी सरकार के राजस्व का एक बडा हसिसा है। ये सरकार को कई जन कलयाणकारी योजनाओं को वतितपोषति करने में सक्षम बनाती हैं। इन राजस्वों की अनुपस्थति राज्ज की लोक कलयाणकारी कार्यकर्मों को चलाने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावति कर सकती है।
- **रोज्जगार का स्रोत:** आज भारतीय वदिशी शराब (आईएमएफएल) उद्योग हर साल करों में 1 लाख करोड से अधकि का योगदान देता है। यह लाखों कसिान परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है और उद्योग में कार्यरत लाखों शर्मकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज्जगार प्रदान करता है।
- **शराबबंदी के पक्ष में तरक:**
 - **आजीविका पर प्रभाव:** शराब पारिवारिक संसाधनों नष्ट कर देती है और महिलाओं और बच्चों को इसके सबसे कमजोर शकिार के रूप में छोड देती है। कम से कम जहां तक परिवार इकाई का संबंध है, एक सामाजकि कलंक अभी भी शराब के सेवन से जुडा हुआ है।
 - **नयिमति खपत को हतोत्साहति करे:** शराब के नयिमति और अत्यधकि सेवन को हतोत्साहति करने के लयि सख्त राज्ज वनियमन अनविर्य है।
 - जैसा क अनुसूची सात के तहत **राज्ज सूची** में नषिध का उल्लेख है, यह राज्ज का कर्तव्य है कविह शराबबंदी से संबंधति प्रावधान करे।

आगे की राह

- नैतिकता, नषिध या पसंद की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों के बीच अर्थव्यवस्था, नौकरी आदि जैसे कारक भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। इसके कारणों और प्रभावों पर एक सूचति और रचनात्मक संवाद की आवश्यकता है।
- नीतिनिर्माताओं को ऐसे कानून बनाने पर ध्यान केंद्रति करना चाहयि जो ज़मिमेदार व्यवहार और अनुपालन को प्रोत्साहति करते हैं।
 - शराब पीने की उमर को पूरे देश में एक समान कयिा जाना चाहयि और इससे नीचे के कसिी भी व्यक्तिको शराब खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहयि।
 - सार्वजनकि रूप से शराब के नशे में व्यवहार, प्रभाव में घरेलू हसिा और शराब पीकर गाडी चलाने के खलिाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहयि।
 - सरकारों को शराब से अर्जति राजस्व का एक हसिसा सामाजकि शकिा, नशामुक्ता और सामुदायकि समर्थन के लयि अलग रखना चाहयि।

स्रोत- द हट्टि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prohibition-laws-and-issues>